भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1869
जिसका उत्तर शुक्रवार, 02 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

कानूनी अधिकारों हेतु जागरूकता

1869. श्री विनोद लखमशी चावड़ा :

डॉ. राजीव भारद्वाज :

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :

श्री विजय बघेल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा संविधान की समझ को लोकप्रिय बनाने तथा कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) तत्संबंधी परिणाम क्या हैं और इनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में भविष्य में उठाए जाने वाले और संभावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने संविधान की समझ को लोकप्रिय बनाने और विधिक अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं । भारत सरकार ने, नोडल विभाग के रूप में न्याय विभाग के माध्यम से, तारीख 26 नवंबर, 2019 को नागरिक कर्तव्य जागरूकता कार्यक्रम (सीडीएपी) आरंभ किया था, जिसका उद्देश्य मूल कर्तव्यों पर फोकस करके, संविधान के बारे में जागरूकता को बढ़ाना था । नागरिक कर्तव्य जागरूकता कार्यक्रम (सीडीएपी) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, न्यायपालिका और एनएसएस/एनवाईके स्वयंसेवकों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से 48.6 करोड़ से अधिक नागरिकों तक पहुंच रखने में समर्थ था । कार्यक्रम में ऑनलाइन उद्देशिका पठन (21.86 लाख), ऑनलाइन प्रतिज्ञा करना (1.90 लाख), वेबिनार (10,600), ई-टिकट के माध्यम से मैसेज (14.5 करोड़) और सोशल मीडिया (10.95 करोड़) जैसे साधनों का उपयोग किया गया था । 86 से अधिक मंत्रालय/विभाग वर्षभर चले सीडीएपी क्रियाकलापों में लगे थे । इसके अतिरिक्त, 31 लाख निर्वाचित ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और 14,500 विशेष ग्राम सभाओं ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों की धारणा को बढ़ावा दिया । न्याय विभाग ने सीएससी नेटवर्क के माध्यम से 1000 डिजिटल ग्रामों में जमीनी स्तर पर अभियान आरंभ किया था, जिसमें 16 राज्यों के 310 जिलों को शामिल किया गया था । इस प्रयास में 2409 जागरूकता सत्र, 4,84,000 ग्रामों में पहुंचना, 9000 भित्ति चित्रकारी और सभी डिजिटल ग्रामों में मूल अधिकारों पर प्रदर्शित हस्ताक्षर बैनर सम्मिलित थे ।

चालू वर्ष के दौरान, न्याय विभाग ने गणतंत्र के रूप में भारत के संविधान के अंगीकरण के 75वें वर्ष को मनाने को अखिल भारतीय वर्षभर चलने वाला 'हमारा संविधान हमारा सम्मान' राष्ट्रव्यापी अभियान आरंभ किया है । अभियान भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा तारीख 24 जनवरी, 2024 को आरंभ किया गया था । इसके पश्चात्, क्षेत्रीय कार्यक्रम, तारीख 9 मार्च 2024 को बीकानेर, राजस्थान में और तारीख 16 जुलाई 2024 को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में अभियान की विकेन्द्रित आऊटरीच को सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किए गए थे । इस अभियान का उद्देश्य भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित सिद्धांतों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को पुन:पुष्ट करना और ऐसे सहभाजित मूल्यों का गुणगान करना है, जो हमारे राष्ट्र को बांधते हैं । यह राष्ट्रव्यापी पहल प्रत्येक नागरिक को अवसर प्रदान करती है कि वह ऐसे विभिन्न प्रकार से भाग ले, जो उसे इसके उप-अभियानों : सबको न्याय हर घर न्याय, नव भारत नव संकल्प और विधि जागृति अभियान के माध्यम से सार्थक रूप से योगदान करने के लिए सशक्त बनाती है ।

सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के नेटवर्क के माध्यम से, 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को क्षेत्रीय भाषाओं में पंच प्रण प्रतिज्ञा को पढ़ने में लगाया है । 25 राज्यों/राज्यक्षेत्रों में, "न्याय सेवा मेला" नामक नागरिक केंद्रिक सेवा मेले आयोजित किए गए हैं । संविधान प्रश्नोत्तरी, पांच प्रण रंगोत्सव (पोस्टर-मेकिंग) और पांच प्रण अनुभव (रील-मेकिंग) जैसी ऑनलाइन प्रतियोगिताएं, MyGov प्लेटफॉर्म पर आरंभ की गईं हैं । संवैधानिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए, अभियान में विधि के छात्रों को शामिल किया है और दूरदर्शन, इग्नू के ज्ञान वाणी और ज्ञान दर्शन तथा मंचों जैसे अभिकरणों के साथ भागीदारी की गई है । तारीख 30 जून, 2024 तक, 1.60 लाख नागरिकों ने राष्ट्रव्यापी अभियान 'हमारा संविधान हमारा सम्मान' में भाग लिया है । इस अभियान के भाग के रूप में संविधान की समझ को लोकप्रिय बनाने के लिए सूचना को नियमित रूप से न्याय विभाग की वेबसाइट https://doj.gov.in/ पर अद्यतन किया जाता है।

न्याय विभाग (डीओजे) वर्ष 2021 में आरंभ हुई "न्याय तक साकल्यवादी पहुंच के लिए नवपरिवर्तनशील समाधान अभिकल्पन" (दिशा) की स्कीम के अधीन विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता संबंधी समर्पित कार्यक्रम को भी कार्यान्वित कर रहा है । तारीख 30 जून, 2024 तक, विधिक जागरूकता सामुदायिक विनियोजन, वेबिनार और संविधान, विधिक अधिकारों, और कर्तव्यों पर शैक्षणिक सामग्रियों के प्रसार के माध्यम से 15.30 लाख व्यक्तियों तक पहुँच चुकी है ।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा), राज्य, जिला और ताल्लुक स्तरों पर अपने विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से, विधिक साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम संचालित करता है और संविधान तथा अन्य अधिनियमितियों द्वारा गारंटीकृत उनके अधिकारों, फायदों, और विशेषाधिकारों के बारे में साधारण जनता को शिक्षित करने के लिए अभियान चलाता है । विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से नाल्सा ने, संविधान की समझ को लोकप्रिय बनाने और विधिक अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) छह सप्ताह तक चलने वाला अखिल भारतीय विधिक जागरूकता और आउटरीच अभियान 2 अक्टूबर से 14 नवंबर, 2021 तक 'आजादी का अमृत महोत्सव' के भाग के रूप में आयोजित किया गया था । चार चरणों में संचालित यह अभियान नि:शुल्क विधिक सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे देश में 6.7 लाख ग्रामों और 4100 नगरपालिका नगरों तक पहुंचा था । इसके अतिरिक्त, 1623 विधिक सेवा मेगा शिविर (नाल्सा मॉड्यूल) 735 जिलों में आयोजित किए गए थे, जिससे 75,64,236 लोग लाभान्वित हुए हैं ।

(ii) "विधिक जागरूकता और आउटरीच के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण" नामक एक राष्ट्रव्यापी विधिक जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम 31 अक्टूबर से 13 नवंबर, 2022 तक संचालित किया गया था। अभियान का उद्देश्य विधिक जागरूकता का प्रसार करके और पात्र फायदाग्राहियों तक विधिक हकदारियों का परिदान सुनिश्चित करके संस्थाओं और निर्धन लोगों के बीच के अंतर को पाटना था। इसे भारत में प्रत्येक जिले के सभी ग्रामों और उपमंडलों में

आयोजित किया गया था । साथ-साथ, "हक_हमारा_भी_तो_है@75" अभियान लांच किया गया था, जिसका फोक्स कारागारों में परिरूद्ध व्यक्तियों तथा बाल देखभाल संस्थाओं को मौलिक विधिक सहायता प्रदान करने पर था ।

विधिक सेवा प्राधिकरणों ने विधिक जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला का संचालन किया है, जिसमें बालकों, श्रमिकों आपदा पीड़ितों, एससी/एसटी समुदायों, दिव्यांगों संबंधी विभिन्न विधियों और स्कीमों को कवर किया गया है । इसके अतिरिक्त, उन्होंने इन विधियों के बारे में जनता को अवगत कराने के लिए सुगम्य भाषा में पुस्तिकाएं और पैम्फलैट बनाए और वितरित किए हैं । समाज के कमजोर वर्गों तक प्रभावी ढ़ंग से पहुंचने के लिए, नाल्सा ने विधिक सेवा संस्थाओं के माध्यम से विधिक सेवा शिविरों के लिए एक मॉड्यूल विकसित किया है और उसे कार्यान्वित किया है । यह दृष्टिकोण साधारण विधिक जागरूकता की पारंपरिक पद्धतियों से लेकर आवश्यकता आधारित विश्लेषण और लक्ष्यित कार्रवाई में टिका हुआ सही सशक्तिकरण पर संकेंद्रित मॉडल तक परिवर्तन को चिन्हित करता है । विधिक सशक्तिकरण शिविर न केवल कमजोर और निर्धन वर्गों की सेवा करने के लिए अभिकल्पित किए गए हैं, जो सदूर और दूरवर्ती क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिनका उद्देश्य जानकारी के अंतर को पाटना है और नागरिकों की उचित हकदारियों तक पहुंच को सुनिश्चित करना है । दिसंबर, 2017 में, कार्यढांचा का अनुमोदन लेने के समय से ही, इन शिविरों का राष्ट्रव्यापी आयोजन किया गया है, जिसका तीहरा उद्देश्य है : पहला, विभिन्न कल्याणकारी विधानों और स्कीमों के बारे में जागरूकता फैलाना ; दूसरा, ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना और उन तक पहुँचना, जिन्हें विधिक सहायता की आवश्यकता है ; और अंतिम, विधिक मुद्दों के लिए अनुकूल समाधानों का उपबंध करना है । अकेले 2023-2024 में, 30,043 विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया था, जिनसे 11.46 लाख नागरिक लाभान्वित हुए थे । विद्यमान जागरूकता कार्यक्रमों, अभियानों को आगे बढाने और अन्य विधिक सहायता मार्गों के संबंध में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए, नाल्सा ने मास मीडिया प्लेटफार्मों और विधिक सेवा संस्थाओ से लाभ उठाया है ।

******